न्यायालय : विशेष न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.)

(समक्ष–एल.डी. सोलंकी)

Registration No. SC NDPS /19/2024
Filing No. SC NDPS /3484/2024
CNR No. MP4601-004429-2024
Filing Date 12.12.2024

आरक्षी केंद्र राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 557/2024 धारा 8/20(ख) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से उद्भूत विशेष प्रकरण।

//निर्णय//

(दिनांक **10 जुलाई 2026** को घोषित)

अभियोजन	**मध्यप्रदेश राज्य द्वारा** पुलिस थाना राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री जगदीश यादव।
अभियुक्त	**रमेश पिता बाला सोलंकी, आयु – 70 वर्ष,** निवासी – पटेलपुरा, ग्राम कोयडिया, अंजड़, थाना – राजपुर, जिला – बड़वानी, म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री पी.के. मुकाती।

अपराध की तारीख	10.11.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	10.11.2024
अभियोग–पत्र की तारीख	12.12.2024

आरोपों के विरचना की तारीख	10.01.2025
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	24.03.2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	03.07.2026
निर्णय की तारीख	10.07.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	10.07.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 468 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
रमेश	10.11.2024	13.12.2024	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8(b) सहपठित धारा 20(a)(i)	**दोषसिद्ध**	**निर्णय की कंडिका 50 के अनुसार दंडित**	**दि. 11.11.2024 से दि. 13.12.2024 तक**

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची
क्र. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.–1	आरक्षक अमित डोडवे	हमराह साक्षी
अ.सा.–2	पटवारी संजय रोमड़े	घटनास्थल नजरी नक्शा व खतौनी
अ.सा.–3	आरक्षक दिनेश अहरवाल	हमराह साक्षी
अ.सा.–4	उमेश इंगले	पंच साक्षी
अ.सा.–5	अशोक कुशवाह	पंच साक्षी
अ.सा.–6	आरक्षक जैसला मंडलोई	माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमाकर्ता
अ.सा.–7	आरक्षक श्याम मालवीय	माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमाकर्ता
अ.सा.–8	उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव	अन्वेषणकर्ता
अ.सा.–9	प्रधान आरक्षक रतनसिंह चौहान	मालखाना प्रभारी
अ.सा.–10	झिरमल सापलिया	मौका कार्यवाही/अन्वेषणकर्ता साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो : निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो : निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.–1/अ.सा.–2	तहसीलदार को दिया गया पत्र
2.	प्र.पी.–2/अ.सा.–2	नजरी नक्शा
3.	प्र.पी.–3/अ.सा.–2	घटनास्थल का खसरा
4.	प्र.पी.–4/अ.सा.–2	खातावार खतौनी
5.	प्र.पी.–5/अ.सा.–2	पटवारी का प्रतिवेदन
6.	प्र.पी.–6/अ.सा.–2	तहसीलदार अंजड़ द्वारा थाने को प्रेषित की गयी जानकारी का प्रतिवेदन
7.	प्र.पी.–7/अ.सा.–4	मुखबिर सूचना से अवगत कराने का पंचनामा
8.	प्र.पी.–8/अ.सा.–4	सर्च वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा
9.	प्र.पी.–9/अ.सा.–4	मादक पदार्थ की पहचान का पंचनामा
10.	प्र.पी.–10/अ.सा.–4	गांजे के पौधे उखाड़ने का पंचनामा
11.	प्र.पी.–11/अ.सा.–4	गांजे के पौधे की गिनती करने का पंचनामा
12.	प्र.पी.–12/अ.सा.–4	तौलकाटा सत्यापन का पंचनामा
13.	प्र.पी.–13/अ.सा.–4	तौल करने का पंचनामा
14.	प्र.पी.–14/अ.सा.–4	सैंपल निकालने का पंचनामा
15.	प्र.पी.–15/अ.सा.–4	माल सीलबंद करने व आर्टिकल देने का पंचनामा
16.	प्र.पी.–16/अ.सा.–4	नमूना सील पंचनामा
17.	प्र.पी.–17/अ.सा.–4	जप्ती पत्रक
18.	प्र.पी.–18/अ.सा.–4	मालखाना इंचार्ज को माल देने का पंचनामा
19.	प्र.पी.–19/अ.सा.–4	माल पुनः सीलबंद करने का पंचनामा
20.	प्र.पी.–20/अ.सा.–4	साक्षी उमेश के पुलिस कथन

21.	प्र.पी.–21/अ.सा.–5	साक्षी अशोक के पुलिस कथन
22.	प्र.पी.–22/अ.सा.–6	एफ.एस.एल. ड्राफ्ट
23.	प्र.पी.–23/अ.सा.–6	विखण्डन प्रमाण पत्र
24.	प्र.पी.–24/अ.सा.–6	माल जमा रसीद (सागर)
25.	प्र.पी.–25/अ.सा.–7	माल जमा रसीद (सागर)
26.	प्र.पी.–26/अ.सा.–8	घटनास्थल का नक्शामौका
27.	प्र.पी.–27/अ.सा.–8	धारा 52ए की कार्यवाही के संबंध में न्यायालय को लेख किया गया पत्र
28.	प्र.पी.–28/अ.सा.–8	मादक पदार्थ की सूची का फार्म 04
29.	प्र.पी.–29/अ.सा.–8	न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत फार्म 05
30.	प्र.पी.–30/अ.सा.–8	परीक्षण रसीद फार्म 06
31.	प्र.पी.–31/अ.सा.–8	न्यायालय की आदेश पत्रिका
32.	प्र.पी.–32/अ.सा.–8	सागर से प्राप्त जांच रिपोर्ट
33.	प्र.पी.–33/अ.सा.–8	सागर से प्राप्त जांच रिपोर्ट
34.	प्र.पी.–34/अ.सा.–8	धारा–63 साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
35.	प्र.पी.–35सी/अ.सा.–9	माज रजिस्टर की सत्यापित प्रति
36.	प्र.पी.–36/अ.सा.–10	रोजनामचा सान्हा क्रमांक 12
37.	प्र.पी.–37/अ.सा.–10	धारा 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट का प्रतिवेदन
38.	प्र.पी.–38/अ.सा.–10	रोजनामचा सान्हा क्रमांक 30
39.	प्र.पी.–39/अ.सा.–10	प्रथम सूचना रिपोर्ट
40.	प्र.पी.–40/अ.सा.–10	काउंटर प्रति
41.	प्र.पी.–41/अ.सा.–10	गिरफ्तारी से अवगत कराने का पंचनामा
42.	प्र.पी.–42/अ.सा.–10	गिरफ्तारी पत्रक
43.	प्र.पी.–43/अ.सा.–10	रोजनामचा सान्हा क्रमांक 32
44.	प्र.पी.–44/अ.सा.–10	गिरफ्तारी की सूचना
45.	प्र.पी.–45/अ.सा.–10	धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट का विस्तृत प्रतिवेदन

ख. प्रतिरक्षा : निरंक।

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	आर्टिकल ए–1/अ.सा.–8	मार्क ए–1 का पैकेट
2	आर्टिकल ए–2/अ.सा.–8	मार्क डी–1 का पैकेट
3	आर्टिकल ए–3/अ.सा.–8	मार्क ई–1 का पैकेट
4	आर्टिकल ए–4/अ.सा.–8	मार्क ए–2 का मूल माल
5	आर्टिकल ए–5/अ.सा.–10	डी.वी.डी.

घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं.क्र.	भौतिक सामग्री	विवरण
1	कुल 17 नग गांजे के पौधे एवं मिट्टी	प्र.पी.–17 के जप्ती पंचनामे अनुसार अभियुक्त से जप्त

1. अभियुक्त पर स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (अत्र पश्चात एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबोधित) की धारा 8(b) सहपठित धारा 20(a)(i) के अपराध का यह आरोप है कि उसके द्वारा आरक्षी केंद्र राजपुर के क्षेत्रांतर्गत कोडिया अंजड़ में स्थित स्वयं के आधिपत्य के खेत में गांजे की खेती की, जिस खेत से दिनांक 10.11.2024 को समय 12:30 बजे से 18:30 बजे के मध्य तुवर की फसल के बीच बिना वैध अनुज्ञप्ति के कुल 17 नग हरे गांजे के पौधे लगे हुए पाये गये।

2. (i). अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 10.11.2024 को पुलिस थाना राजपुर के पदस्थ झिरमल सापलिया अ.सा.–10 स्वयं व हमराह बल, प्रधान आरक्षक भैरूसिंह, आरक्षक राजकुमार, आरक्षक दिनेश, मय थाना मोबाईल चालक आरक्षक सतीश, मय अनुसंधान बॉक्स वायरलेस सेट से नकाबजनी की

विवेचना में कस्बा राजपुर व देहात रवाना हुआ। अपराध की पतारसी करते कस्बा राजपुर ग्राम संगोदा, ग्राम बजट्टा कोयडिया में पहुंचने पर नदी के पास विश्वसनीय मुखबिर ने आकर सूचना दी कि ग्राम कोयडिया के पूर्व दिशा की तरफ पहाड़ियों के उपर जहां पर वाहन जाने आने का रास्ता नहीं है। वहां पर खेत है, जिसमें रमेश पिता बाला सोलंकी निवासी ग्राम कोयडिया पटेलपुरा ने अपने खेत में आधा अधूरा मकान बना रखा है, उसके सामने उसके खेत में तुवर की फसल में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजे के पौधे लगा रखे है। सूचना मिलने पर उसके द्वारा हमराह बल को अवगत कराया तथा जरिये वायरलेस से सूचना देकर उपनिरीक्षक छन्नुलाल चौहान को उनके हमराह बल ग्राम कोयडिया आने हेतू अवगत कराया। बाद आरक्षक बलदेव व सतीश को मय थाना मोबाईल के पंच साक्षी तलब करने हेतू ईलेक्ट्रानिक तौलकांटे लाने हेतू रवाना किया था, थोड़ी देर बाद उक्त आरक्षक ईलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा मय पांच पांच सौ ग्राम के बांट व दो पंच उमेश व अशोक को लेकर आया था तथा उपनिरीक्षक छन्नुलाल चौहान महिला प्रधान आरक्षक कृष्णा, आरक्षक अमित, आरक्षक बलदेव, आरक्षक नानसिंह मय प्रायवेट वाहन के उपस्थित हुए थे।

(ii). अभियोजन मामला अग्रेतर इस प्रकार है कि बाद उसके द्वारा मुखबिर सूचना से हमराह फोर्स व पंचान को अवगत कराया जिसका पंचनामा प्रदर्श पी—07 का बनाया, मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने बाबद वायरलेस से संपक्र करने पर नहीं होने पर तथा सर्च वारंट प्राप्त करने में लगने वाली देरी में संदेही मादक पदार्थ गांजे के पौधों को अफरा तफरी कर सकता था, जिस पर उसके द्वारा सर्च वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा प्रदर्श पी—08 का बनाया, जिसकी सूचना एस.डी.ओ.पी. कार्यालय राजपुर को देने हेतू आरक्षक राजकुमार को रवाना किया था। धारा 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट का प्रतिवेदन प्रदर्श पी—37 का तैयार किया गया। बाद आरक्षक चालक सतीश को थाना मोबाईल वाहन व मोटरसायकल सुरक्षार्थ कोयडिया नदी के किनारे छोड़कर शेष हमराह बल पंच साक्षी अनुसंधान सामग्री लेकर पैदल—पैदल मुखबिर सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ग्राम कोयडिया पटेलपुरा निवासी रमेश पिता बाला सोलंकी के खेत में

बना आधा अधूरा मकान मिला, जहां पर रमेश पिता बाला तलाश करने पर नहीं मिला। उक्त मकान के साईड में तुवर की फसल लगी पायी गयी। उसके बाद उसके द्वारा हमराह बल पंचान की मदद से अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधों की तलाश की गयी। तुवर की फसल के बीच बीच में गांजे के पौधों जैसे दिखने वाले पौधे पाये गये, हमराह फोर्स पंचान की मदद से उक्त पौधों की कली, गलका, पत्ती को तोड़कर मसलकर सुंघकर सुंघकर देखने पर अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। मादक पदार्थ पहचान पंचनामा प्रदर्श पी–9 का है। हमराह बल व पंचान की मदद से उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधों को उखाडा गया, पौधे उखाड़ने का पंचनामा प्रदर्श पी–10 का बनाया गया। तत्पश्चात उक्त पौधों की गिनती करने पर कुल 17 पौधे पाये गये, पौधों की गिनती करने का पंचनामा प्रदर्श पी–11 का है। साथ ले गये ईलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे को चालू करने पर जिरो आया, पांच सौ ग्राम का बांट रखने पर स्क्रीन पर पांच सौ लिखा होने पर तौलकांटा सही होना पाया गया। तौलकांटे का भौतिक सत्यापन पंचनामा प्रदर्श पी–12 का है।

(iii). अभियोजन मामला अग्रेतर इस प्रकार है कि उसके द्वारा उक्त पौधों को बंडल बनाकर वजन करने पर कुल 11 किलो 230 ग्राम होना पाया गया, तौल पंचनामा प्रदर्श पी–13 का है। उसके द्वारा कुल 17 गांजे के पौधों में से सेंपल हेतू एक एक पौधा निकाला गया, जिनका वजन करने पर एक पौधे का वजन 1 किलो 640 ग्राम तथा दूसरे सेंपल के पौधे का तौल करने पर 1 किलो 790 ग्राम होना पाया गया तथा शेष 15 पौधों का वजन 7 किलो 800 ग्राम होना पाया गया, तत्संबंध उसके द्वारा सेंपल निकालने का पंचनामा प्रदर्श पी–14 का बनाया बाद उसके द्वारा 15 गांजे के पौधों का एक बंडल बनाया गया तथा निकाले गये एक एक पौधों का अलग से बंडल बनाया गया, जिन्हें मार्क्र ए बी व सी से चिन्हित किया गया तथा गांजे के पौधे लगे स्थान पर जड़वाली मिटटी एवं सादी मिटटी ली गयी, जिन्हें सीलबंद कर मार्क्र डी व ई से चिन्हित किया गया, आर्टिकल सीलबंद करने का पंचनामा प्रदर्श पी–15 का है। उक्त बंडलों को सीलबंद कर सील नमूना तैयार किया, जिसका नमूना सील पंचनामा प्रदर्श पी–16 का है। उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजे के

पौधों एवं मिटटी माक्र ए,बी,सी,डी एवं ई को जप्त कर जप्ती पंत्रक प्रदर्श पी–17 का बनाया। मौके पर कार्यवाही कर कार्यवाही की वीडियोग्राफी उसके मोबाईल से आरक्षक बलदेव से बनवायी गयी थी। जप्तशुदा मादक पदार्थ हमराह बल पंचान के वापस पुलिस थाना राजपुर आया था। जप्तशुदा मादक पदार्थ को मालखाने में सुरक्षार्थ रखने हेतू मालखाना प्रभारी प्रधान आरक्षक रतन मेहता के सुपुर्द किया था जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–18 का है।

(iv). अभियोजन का मामला अग्रेतर इस प्रकार है कि वापस थाने आकर पुलिस थाना राजपुर पर अपराध क्रमांक 557/2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–39 दर्ज की, जिसकी काउंटर प्रति प्रदर्श पी–40 विशेष न्यायालय को प्रेषित की उसके द्वारा अभियुक्त रमेश पिता बाला को पुलिस थाना राजपुर तलब कर उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाकर पंचनामा प्रदर्श पी–41 का बनाया। पश्चात उक्त अभियुक्त को समक्ष पंचान के प्रदर्श पी–42 के अनुसार गिरफतार कर गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी–44 उसके परिजन को दी गयी। उक्त अपराध में कार्यवाही संबंधित धारा 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट का विस्तृत प्रतिवेदन प्रदर्श पी–45 एस.डी.ओ.पी. कार्यालय राजपुर प्रेषित किया गया। उसके द्वारा की गयी जप्ती की कार्यवाही सीडी आर्टिकल ए–5 तैयार की गयी। प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजे के पौधों को धारा 52 ए की सेंपलिंग की कार्यवाही हेतू जेएमएफसी न्यायालय राजपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जो प्रदर्श पी–27 का है। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान हेतू केस डायरी उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव के सुपुर्द की थी।

(v). अभियोजन का मामला अग्रेतर इस प्रकार है कि श्यामलाल यादव अ.सा.–08 को दिनांक 11.11.2024 को पुलिस थाना राजपुर के अपराध क्रमांक 557/2024 धारा–8/20(बी) में की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटना स्थल पर जाकर साक्षी उपनिरीक्षक झिरमल सापलिया की निशादेही से घटना स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी––26 का बनाया गया व जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजे के पौधों में धारा 52(ए) की कार्यवाही के संबंध में जेएमएफसी

न्यायालय राजपुर को प्रतिवेदन प्रदर्श पी–27 पेश किया। जेएमएफसी न्यायालय के निर्देश अनुसार वह व उसके हमराह उपनिरीक्षक छन्नुलाल चौहान मय जप्तशुदा मादक पदार्थ अनुसंधान सामग्री लेकर जेएमएफसी न्यायालय राजपुर गया धारा 52(ए) की कार्यवाही में जेएमएफसी न्यायालय में उसके द्वारा जप्तशुदा मादक पदार्थ की सूची का फार्म 04 प्रदर्श पी–28 का तैयार कर न्यायालय को प्रस्तुत किया। जेएमएफसी न्यायालय के समक्ष आवेदन फार्म 05 प्रदर्श पी–29 का प्रस्तुत किया। धारा 52(ए) की कार्यवाही में उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष तौल काटे का भौतिक सत्यापन किया गया। जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा सीलबंद अवस्था में तीन सफेद कपडे की थैली में प्रस्तुत किया गया है, जो माक्र ए, बी, व सी से चिन्हित है एवं जड़ मिट्टी माक्र डी से चिन्हित है, सादी मिट्टी माक्र ई से चिन्हित है जो थाना राजपुर की सील चपडी से सीलबंद है, को जेएमएफसी न्यायालय के सुपुर्द किया गया, जिसका जेएमएफसी न्यायालय के समक्ष तौल करने पर 10.080 किलो ग्राम पाया गया, जिसमें से 100–100 ग्राम के दो सेंपल निकाले गये तथा जड़, मिट्टी में से 100 ग्राम मिट्टी सेंपल हेतु ली गई एवं साधी मिट्टी 100 ग्राम सेंपल हेतु निकाली गई। मूल माल मार्क ए, बी व सी से जो 100–100 ग्राम के सेंपल निकाले गये उन्हे मार्क ए–1 व ए–2 से चिन्हित किया गया तथा जड़ मिट्टी जो माक्र डी से चिन्हित है, उसमें से निकाले गए सेंपल को मार्क डी–1 से चिन्हित किया गया तथा सादी मिट्टी जो मार्क ई से चिन्हित है, से निकाले गए सेंपल को मार्क ई–1 से चिन्हित किया गया। सभी निकाले गए सेंपल व मूल माल को सफेद कपड़े में रखकर सुई धागे से सिलकर जेएमएफसी न्यायालय के सील से सीलबंद किया गया। उसके द्वारा परीक्षण रसीद फार्म 06 प्रदर्श पी–30 तैयार किया गया।

(vi). सम्पूर्ण कार्यवाही की आदेश प्रत्रिका प्रदर्श पी–31 जेएमएफसी न्यायालय द्वारा लेखबद्ध की गई। निकाले गए सेंपलों को रासायनिक परीक्षण की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक बडवानी के ज्ञापन प्रदर्श पी–22 के माध्यम से एफ.एस.एल सागर भेजे गए। विखण्डन प्रमाण पत्र पत्र प्रदर्श पी–23 का होकर एफ.एस.एल. सागर की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–32 व प्रदर्श पी–33 की है। अनुसंधान के दौरान

उसके द्वारा साक्षी उमेश, अशोक, उपनिरीक्षक झिरमल सापलिया, उपनिरीक्षक छन्नुलाल, आरक्षक सतीश, दिनेश, महिला प्रधान आरक्षक कृष्णा बघेल, आरक्षक अमित, आरक्षक बलदेव, आरक्षक नानसिंह, आरक्षक राजकुमार, प्रधान आरक्षक भैरूसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये व कार्यवाही की वीडियोग्राफी अपने मोबाईल के माध्यम से की गई थी, उक्त वीडियों की डीवीडी थाने के कम्प्यूटर से उसके द्वारा बनाई गई थी। उक्त कम्प्यूटर उसके नियंत्रण एवं कब्जे में रखा है। उक्त वीडियोंग्राफी की सत्यता के संबंध में धारा–63 साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–34 दिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को निर्णय की कंडिका–01 में वर्णित आरोप विरचित किये जाकर, सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा, उसकी प्ली अंकित की गई, अभियुक्त ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता सहपठित धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान के अंतर्गत किये गये परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना व उसके पास कोई खेत नहीं होना व्यक्त किया गया।

4. <u>प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :–</u>

1. क्या अभियुक्त के द्वारा आरक्षी केंद्र राजपुर के क्षेत्रांतर्गत कोडिया अंजड़ में स्थित स्वयं के आधिपत्य के खेत में गांजे (केनेबीस) की खेती की, जिसके संबंध में दिनांक 10.11.2024 को समय 12:30 बजे से 18:30 बजे के मध्य उक्त खेत में तुवर की फसल के बीच बिना वैध अनुज्ञप्ति के कुल 17 नग हरे गांजे के पौधे लगे हुए पाये गये ?

2. निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

:: निष्कर्ष के कारण एवं आधार ::

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 पर विवेचना :–

5. इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में रिकार्ड पर आई हुई समग्र मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के पूर्व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से रखे गये तर्क का उल्लेख किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क रखा गया है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर रेड कार्यवाही में अभियुक्त के आधिपत्य के खेत से गांजा, जो विहित अल्पमात्रा से अधिक होकर वाणिज्यिक मात्रा से कम था, को बगैरह अनुज्ञप्ति के बरामद होने की स्थितियॉ विधिवत् समस्त युक्तियुक्त शंका से परे प्रमाणित की गई हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को सिद्धदोष करार देकर के न्यायोचित दण्ड से दंडित किया जावे।

7. दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त आधार पर उन्होंने अभियुक्त को निर्दोष होने का तर्क रखते हुए और मामले में मिथ्या रूप से संलिप्त किये जाने की स्थितियॉ व्यक्त कर जिस स्थान से गांजा जप्त हुआ है, वह भूमि अभियुक्त के नाम पर दर्ज नहीं है, जिस स्थान के बारे में मुखबिर की सूचना थी, उस स्थान से मादक पदार्थ जप्त नहीं हुआ तथा जिस अभियुक्त के नाम की मुखबिर की सूचना थी, उस नाम का व्यक्ति अभियुक्त नहीं है, व्यक्त करते हुए दोषमुक्ति का पात्र बताया है।

8. तत्संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौके की कार्यवाहीं

करने वाले साक्षी **उपनिरीक्षक झिरमल सापलिया अ.सा.–10** ने कथन कर बताया है कि दिनांक 10.11.2024 को वह पुलिस थाना राजपुर मे उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को वह स्वयं व हमराह बल, प्रधान आरक्षक भैरूसिंह, आरक्षक राजकुमार, आरक्षक दिनेश, मय थाना मोबाईल चालक आरक्षक सतीश, मय अनुसंधान बॉक्स वायरलेस सेट से नकबजनी की विवेचना में कस्बा राजपुर व देहात रवाना हुआ था, जिसकी रवानगी की प्रविष्टि प्रदर्श पी–36 की है। अपराध की पतारसी करते कस्बा राजपुर ग्राम संगोदा, ग्राम बजट्टा कोयडिया में पहुंचने पर नदी के पास विश्वसनीय मुखबिर ने आकर सूचना दी कि ग्राम कोयडिया के पूर्व दिशा की तरफ पहाड़ियों के उपर जहां पर वाहन जाने आने का रास्ता नहीं है। वहां पर खेत है, जिसमें रमेश पिता बाला सोलंकी निवासी ग्राम कोयडिया पटेलपुरा ने अपने खेत में आधा अधूरा मकान बना रखा है, उसके सामने उसके खेत में तुवर की फसल में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजे के पौधे लगा रखे है।

9. उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि सूचना मिलने पर उसके द्वारा हमराह बल को अवगत कराया तथा जरिये वायरलेस से सूचना देकर उपनिरीक्षक छन्नुलाल चौहान को उनके हमराह बल ग्राम कोयडिया आने हेतू अवगत कराया। उसके बाद आरक्षक बलदेव व सतीश को मय थाना मोबाईल के पंच साक्षी तलब करने हेतू ईलेक्ट्रानिक तौलकांटे लाने हेतू रवाना किया था, थोड़ी देर बाद उक्त आरक्षक ईलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा मय पांच पांच सौ ग्राम के बांट व दो पंच उमेश व अशोक को लेकर आया था तथा उपनिरीक्षक छन्नुलाल चौहान महिला प्रधान आरक्षक कृष्णा, आरक्षक अमित, आरक्षक बलदेव, आरक्षक नानसिंह मय प्रायवेट वाहन के उपस्थित हुए थे। बाद उसके द्वारा मुखबिर सूचना से हमराह फोर्स व पंचान को अवगत कराया जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–07 का बनाया, मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने बाबद वायरलेस से संपक्र करने पर नहीं होने पर तथा सर्च वारंट प्राप्त करने में लगने वाली देरी में संदेही मादक पदार्थ गांजे के पौधों को अफरा तफरी कर सकता था, जिस पर उसके द्वारा सर्च वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा प्रदर्श पी–08 का बनाया, जिसकी सूचना एस.डी.ओ.पी. कार्यालय राजपुर

को देने हेतू आरक्षक राजकुमार को रवाना किया था। धारा 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट का प्रतिवेदन प्रदर्श पी–37 का है।

10. उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसके द्वारा आरक्षक चालक सतीश को थाना मोबाईल वाहन व मोटरसायकल सुरक्षार्थ कोयडिया नदी के किनारे छोड़कर शेष हमराह बल पंच साक्षी अनुसंधान सामग्री लेकर पैदल–पैदल मुखबिर सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ग्राम कोयडिया पटेलपुरा निवासी रमेश पिता बाला सोलंकी के खेत में बना आधा अधूरा मकान मिला, जहां पर रमेश पिता बाला तलाश करने पर नहीं मिला। उक्त मकान के साईड में तुवर की फसल लगी पायी गयी। उसके बाद उसके द्वारा हमराह बल पंचान की मदद से अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधों की तलाश की गयी। तुवर की फसल के बीच बीच में गांजे के पौधों जैसे दिखने वाले पौधे पाये गये, हमराह फोर्स पंचान की मदद से उक्त पौधों की कली, गलका, पत्ती को तोड़कर मसलकर सुंघकर सुंघाकर देखने पर अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। मादक पदार्थ पहचान पंचनामा प्रदर्श पी–9 का है। हमराह बल व पंचान की मदद से उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधों को उखाडा गया, पौधे उखाड़ने का पंचनामा प्रदर्श पी–10 का बनाया गया। तत्पश्चात उक्त पौधों की गिनती करने पर कुल 17 पौधे पाये गये, पौधों की गिनती करने का पंचनामा प्रदर्श पी–11 का है। साथ ले गये ईलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे को चालू करने पर जिरो आया, पांच सौ ग्राम का बांट रखने पर स्क्रीन पर पांच सौ लिखा होने पर तौलकांटा सही होना पाया गया। तौलकांटे का भौतिक सत्यापन पंचनामा प्रदर्श पी–12 का है।

11. उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसके द्वारा उक्त पौधों को बंडल बनाकर वजन करने पर कुल 11 किलो 230 ग्राम होना पाया गया, तौल पंचनामा प्रदर्श पी–13 का है। उसके द्वारा कुल 17 गांजे के पौधों में से सेंपल हेतू एक एक पौधा निकाला गया, जिनका वजन करने पर एक पौधे का वजन 1 किलो 640 ग्राम तथा दूसरे सेंपल के पौधे का तौल करने पर 1 किलो 790 ग्राम होना पाया गया तथा शेष 15 पौधों का वजन 7 किलो 800 ग्राम होना पाया गया,

तत्संबंध उसके द्वारा सेंपल निकालने का पंचनामा प्रदर्श पी–14 का बनाया बाद उसके द्वारा 15 गांजे के पौधों का एक बंडल बनाया गया तथा निकाले गये एक एक पौधों का अलग से बंडल बनाया गया, जिन्हें मार्क ए बी व सी से चिन्हित किया गया तथा गांजे के पौधे लगे स्थान पर जड़वाली मिटटी एवं सादी मिटटी ली गयी, जिन्हें सीलबंद कर मार्क डी व ई से चिन्हित किया गया, आर्टिकल सीलबंद करने का पंचनामा प्रदर्श पी–15 का है। उक्त बंडलों को सीलबंद कर सील नमूना तैयार किया, जिसका नमूना सील पंचनामा प्रदर्श पी–16 का है। उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधों एवं मिटटी मार्क ए,बी,सी,डी एवं ई को जप्त कर जप्ती पंत्रक प्रदर्श पी–17 का बनाया। मौके पर कार्यवाही कर कार्यवाही की वीडियोग्राफी उसके मोबाईल से आरक्षक बलदेव से बनवायी गयी थी। जप्तशुदा मादक पदार्थ हमराह बल पंचान के वापस पुलिस थाना राजपुर आया था। जप्तशुदा मादक पदार्थ को मालखाने में सुरक्षार्थ रखने हेतू मालखाना प्रभारी प्रधान आरक्षक रतन मेहता के सुपुर्द किया था जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–18 का है। उक्त अपराध में वापस की प्रविष्टि प्रदर्श पी–38 की है।

12. उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस थाना राजपुर पर अपराध क्रमांक 557/2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–39 दर्ज की थी, जिसकी काउंटर प्रति प्रदर्श पी–40 विशेष न्यायालय को प्रेषित की उसके द्वारा अभियुक्त रमेश पिता बाला को पुलिस थाना राजपुर तलब कर उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाकर पंचनामा प्रदर्श पी–41 का बनाया। पश्चात उक्त अभियुक्त को समक्ष पंचान के प्रदर्श पी–42 के अनुसार गिरफतार किया गया, जिसकी प्रविष्टि प्रदर्श पी–43 की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी–44 उनके परिजन को दी गयी। उक्त अपराध में कार्यवाही संबंधित धारा 57 एन. डी.पी.एस.एक्ट का विस्तृत प्रतिवेदन प्रदर्श पी–45 एस.डी.ओ.पी. कार्यालय राजपुर प्रेषित किया। प्रदर्श पी–45 पर साक्षी ने सहायक उपनिरीक्षक प्रतापसिंह जाधव के हस्ताक्षर होना बताया है। उसने उनके साथ कार्य किया होने से उनके हस्ताक्षर पहचानना बताया है। उसके द्वारा की गयी जप्ती की कार्यवाही सीडी आर्टिकल ए–5

तैयार की गयी। प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजे के पौधों को धारा 52 ए की सेंपलिंग की कार्यवाही हेतू जेएमएफसी न्यायालय राजपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जो प्रदर्श पी–27 का है। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान हेतू केस डायरी उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव के सुपुर्द की थी। पुलिस ने उसकी निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–26 का बनाया।

13. **आरक्षक अमित डोडवा अ.सा.–01** ने कथन कर बताया है कि दिनांक 10.11.2023 को पुलिस थाना राजपुर पर आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उपनिरीक्षण छन्नुलाल चौहान के हमराह वह व महिला प्र.आर. कृष्णा, आर. बलदेव, आर. नानसिंग, आर. सतीष के साथ ग्राम कोयडिया पहुंचे। जहां पर पूर्व से उपनिरीक्षक झिरमल सापलिया, आर. राजकुमार, आर. दिनेश उपस्थित मिले। सापलिया साहब ने बताया कि उनको सूचना मिली है कि ग्राम कोयडिया के पूर्व दिशा की तरफ पहाडीयों के उपर वाहन जाने का रास्ता नहीं है वहां पर कुछ लोगो के खेत है। वहां पर संदेही रमेश ने अपने खेत में तुवर की फसल के बीच में गांजे के पौधे लगा रखे है। उसके बाद आर. बलदेव व सतीष को भी बुलाया। उसके बाद हम पुलिस वालों के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर गए और पहाडी पर चढ़े वहां पर एक खेत में तुवर लगी हुई थी उसमें गांजे के पौधे लगे हुए थे। वे लोग उस खेत पर पहुंचे और सापलिया साहब ने पौधों की पत्तियों तोडकर देखा तो वह गांजे के पौधे पाए गए। फिर मौके से ड्रायवर सतीष और आर. बलदेव को इलेक्ट्रॉनिक तोलकांटा और पंचान लेने पहुंचाया। फिर उक्त आरक्षक अशोक पिता मंशाराम और उमेश इंगले को एवं तोलकांटे को लेकर मौके पर उपस्थित हुआ था। फिर पुलिस फोर्स के द्वारा मौके वाले खेत से गांजे के पौधे उखाडे थे। फिर पंचानो के समक्ष उक्त उखाडे पौधो को सील किया था और मौके पर से खेत की एवं पौधे की जड़ की मिट्टी को दो डब्बीयों में लेकर उसे सीलबंद किया था। पौधो को तौल कांटे पर तौले जाने उपरांत 11 किलो 230 ग्राम होना पाया था। मौके पर विडीयोग्राफी पंचानो के समक्ष कराई गई थी। फिर सापलिया साहब और हम सभी मय जप्ती सामान के थाने आए थे। जप्ती में गिनती करने पर 17 पौधे पाए गए थे।

मैं थाने से डाक एसडीओपी राजपुर लेकर गया था। पुलिस ने उसके कथन लिये थे।

14. अभियोजन **साक्षी आरक्षक दिनेश अ.सा.–03** ने कथन कर बताया है कि दिनांक 10.11.2024 को वह तथा उपनिरीक्षक झिरमल सापल्या साहब, आरक्षक राजकुमार, आरक्षक सतीश, प्रधान आरक्षक भैरूसिंह के साथ रवाना होकर कोयडिया ग्राम पहुॅचा, जहॉ पर उपनिरीक्षक सापलिया साहब को अवैध गांजे के संबंध में सूचना मिलने पर अन्य पुलिसवालों को तलब किया। मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम कोयडिया के पूर्व दिशा की तरफ की पहाडियों के उपर दो किलोमीटर दूर जहॉ वाहन नहीं जाता है, कुछ लोगों के खेत है, वहॉ पर रमेश पिता बाला सोलंकी ने अपने खेत में तुवर की फसल में गांजे के पौधे लगा रखे है। उसके बाद आरक्षक बलदेव व सतीश को इलेक्ट्रिक तौल कांटा व पंचान लाने हेतू तलब किया था। थोड़ी देर बाद वह अपने साथ उमेश व अशोक पंचान को लेकर व मय इलेक्ट्रिक तौलकांटा व पॉच पॉच सौ ग्राम के दो बांट लेकर आया था। सापलिया साहब ने पंचान को भी मुखबिर सूचना से अवगत कराया बाद पुलिस फोर्स पचान मुखबिर बताये स्थान खेत पर पहुॅचे, जहॉ खेत पर बना अधूरा मकान मिला, संदेही रमेश की तलाश करते नहीं मिला, उसने मकान के पास में ही तुवर की फसल के बीच में गांजे के जैसे दिखने वाले पौधे दिखायी दिये, जिनकी पत्तियों को तोड़कर मसलकर, सुंघकर, जलाकर देखने पर तीखी गंध होने से अनुभव के आधार पर गांजा होना पाया गया।

15. उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसके बाद पुलिस फोर्स व पंचान की मदद से उक्त पौधों को उखाडा गया, कुल 17 पौधे पाये गये, उसके बाद साथ ले गये इलेक्ट्रिक तौल कांटे का भौतिक सत्यापन किया गया, सही होने पर अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधों का वजन करने पर कुल 11 किलो 230 ग्राम होना पाया गया, उसके बाद उखाड़े गये पौधों के स्थान से जड़ वाली मिट्टी व सादी मिटटी सैंपल के लिये ली गयी। उसके बाद उक्त पौधों को सफेद कपड़े में रखकर सुई धागे से सीलकर पुलिस थाने की सील चपड़ी से सीलबंद कर जप्त कर पुलिस थाना राजपुर वापस आये।

16. **अभियोजन साक्षी रतनसिंह चौहान अ.सा.–09** ने कथन कर बताया है कि दिनांक 10.11.2024 को पुलिस थाना राजपुर पर एच.सी.एम. मालखाना प्रभारी प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उपनिरीक्षक झिरमल सापलिया साहब ने जप्तशुदा मादक पदार्थ के पांच सीलबंद पैकेट पुलिस थाना राजपुर पर मालखाना सुरक्षार्थ रखने हेतू उसके सुपुर्द किये थे। उसके द्वारा उक्त माल प्राप्त कर पंचनामा माल पुनः सीलबंद करने का पंचनामा मालखाना इंचार्ज को माल देने का पंचनामा प्रदर्श पी–18 का बनाया। उसके द्वारा उक्त माल को पुनः सीलबंद किया गया था, तत्संबंध में माल को पुनः सीलबंद करने का पंचनामा प्रदर्श पी–19 का बनाया। मालखाने में माल जमा करने की प्रविष्टि जप्ती माल रजिस्टर के सरल क्रमांक 199 पर की थी। असल जप्ती माल रजिस्टर प्रदर्श पी–35 की है, जिसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी–35 सी की है। उक्त रजिस्टर के ए से ए भाग पर प्रविष्टि अंकित है।

17. **आरक्षक जैसला मंडलोई अ.सा.–06** ने कथन कर बताया है कि दिनांक 14.11.2024 को थाना राजपुर अपराध क्रमांक 557/2024 धारा 8/20 बी एन.डी.पी.एस. एक्ट में जप्तशुदा गांजा मादक पदार्थ मार्क्र ए1, डी 1 व ई 1 के रासायनिक परीक्षण हेतू पुलिस अधीक्षक बड़वानी के ज्ञापन के माध्यम से ड्राफ्ट प्रदर्श पी–22 तैयार कर मय विखण्डन प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–23 के सहायक उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव साहब ने राज्य न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला सिविल लाईन सागर भेजा था, जिसकी माल जमा रसीद प्रदर्श पी–24 की है। **आरक्षक श्याम मालवीय अ.सा.–07** ने भी कथन कर बताया है कि दिनांक 14.11.2024 को थाना राजपुर के अपराध क्रमांक 557/2024 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में जप्तशुदा मादक पदार्थ मार्क्र ए 1, डी1 व ई1 के रासायनिक परीक्षण हेतू पुलिस अधीक्षक बड़वानी के ज्ञापन के माध्यम से ड्राफ्ट प्रदर्श पी–22 तैयार कर विखण्डन कर मार्क्र डी 1 व ई 1 सहायक उपनिरीक्षक प्रतापसिंह जाधव ने दिया था। ड्राफ्ट प्रदर्श पी–22 का है, जिसका विखण्डन प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–23 का है तथा माल जमा रसीद प्रदर्श पी–25 की है।

18. **पटवारी संजय रोमड़े अ.सा.–02** ने कथन कर बताया है कि दिनांक 27.11.2024 को वह तहसील अंजड़ के पटवारी हल्का नंबर 25 ग्राम कोयडिया हल्का में पटवारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना राजपुर द्वारा घटना स्थल की कृषि भूमि का खसरा नक्शा एवं ट्रेस नक्शा प्राप्त करने बाबत् तहसीलदार अंजड़ को पत्र प्रदर्श पी–01 लेख किया गया था, जो तहसीलदार अंजड़ द्वारा उसे अग्रेषित किया था। उक्त पत्र के पालन में उसने घटनास्थल ग्राम कोयडिया पर उपस्थित होकर समक्ष पंचान के घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–02 बनाया तथा घटनास्थल का खसरा प्रदर्श पी–03 व खातावार खतौनी प्रदर्श पी–04 की है। उसके द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा एवं खसरा, खातावार खतौनी प्रतिवेदन प्रदर्श पी–05 के माध्यम से तहसीलदार अंजड को प्रेषित की गई तथा तहसीलदार अंजड़ द्वारा उक्त जानकारी थाना राजपुर को प्रतिवेदन प्रदर्श पी–06 के माध्यम से प्रेषित की गई। उक्त साक्षी के द्वारा प्रदर्श पी–06 पर तहसीलदार अंजड़ सुश्री बबली के हस्ताक्षर होना बताया गया है।

19. अन्वेषणकर्ता साक्षी **उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव अ.सा.–08** ने बताया है कि दिनांक 11.11.2024 को थाना राजपुर के अपराध क्रमांक 557/2024 धारा–8/20(बी) में की केस डायरी विवेचना होने पर साक्षी उपनिरीक्षक झिरमल सापलिया की निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–26 का बनाया। दिनांक 12.11.2024 को प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजे के पौधों में धारा 52(ए) की कार्यवाही के संबंध में जेएमएफसी न्यायालय राजपुर को प्रतिवेदन प्रदर्श पी–27 पेश किया। जेएमएफसी न्यायालय के निर्देश अनुसार वह व उसके हमराह उपनिरीक्षक छन्नुलाल चौहान मय जप्तशुदा मादक पदार्थ अनुसंधान सामग्री लेकर जेएमएफसी न्यायालय राजपुर गया था। धारा 52(ए) की कार्यवाही में जेएमएफसी न्यायालय में उसके द्वारा जप्तशुदा मादक पदार्थ की सूची का फार्म 04 प्रदर्श पी–28 का तैयार किया कर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उक्त सूची को सही होने से न्यायालय प्रमाणित किया गया। जेएमएफसी न्यायालय के समक्ष आवेदन फार्म 05 प्रदर्श पी–05 का प्रस्तुत किया गया। धारा 52(ए) की कार्यवाही में उसके द्वारा

न्यायालय के समक्ष तौल काटे का भौतिक सत्यापन किया गया। जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा सीलबंद अवस्था में तीन सफेद कपडे की थैली में प्रस्तुत किया गया है, जो माक्र ए, बी, व सी से चिन्हित है एवं जड़ मिट्टी माक्र डी से चिन्हित है, सादी मिट्टी माक्र ई से चिन्हित है जो थाना राजपुर की सील चपडी से सीलबंद है, को जेएमएफसी न्यायालय के सुपुर्द किया गया, जिसका जेएमएफसी न्यायालय के समक्ष तौल करने पर 10.080 किलो ग्राम पाया गया, जिसमें से 100–100 ग्राम के दो सेंपल निकाले गये तथा जड़, मिट्टी में से 100 ग्राम मिट्टी सेंपल हेतु ली गई एवं सादी मिट्टी 100 ग्राम सेंपल हेतु निकाली गई। मूल माल मार्क ए, बी व सी से जो 100–100 ग्राम के सैंपल निकाले गये उन्हे मार्क ए–1 व ए–2 से चिन्हित किया गया तथा जड़ मिट्टी जो माक्र डी से चिन्हित है, उसमें से निकाले गए सेंपल को मार्क डी–1 से चिन्हित किया गया तथा सादी मिट्टी जो मार्क ई से चिन्हित है, से निकाले गए सेंपल को मार्क ई–1 से चिन्हित किया गया। सभी निकाले गए सेंपल व मूल माल को सफेद कपड़े में रखकर सुई धागे से सिलकर जेएमएफसी न्यायालय के सील से सीलबंद किया गया। परीक्षण रसीद फार्म 06 प्रदर्श पी–30 तैयार किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की आदेश प्रत्रिका प्रदर्श पी–31 जेएमएफसी न्यायालय द्वारा लेखबद्ध की गई। अनुसंधान के दौरान निकाले गए सैंपलों को रासायनिक परीक्षण की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक बडवानी के ज्ञापन प्रदर्श पी–22 के माध्यम से एफ.एस.एल सागर भेजे गए। विखण्डन प्रमाण पत्र पत्र प्रदर्श पी–23 का होकर एफ.एस.एल. सागर की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–32 व प्रदर्श पी–33 की है। अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा साक्षी उमेश, अशोक, उपनिरीक्षक झिरमल सापलिया, उपनिरीक्षक छन्नुलाल, आरक्षक सतीश, दिनेश, महिला प्रधान आरक्षक कृष्णा बघेल, आरक्षक अमित, आरक्षक बलदेव, आरक्षक नानसिंह, आरक्षक राजकुमार, प्रधान आरक्षक भैरूसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी उसने अपने मोबाईल के माध्यम से की तथा वीडियों की डीवीडी थाने के कम्प्यूटर से, जो उसके द्वारा स्वयं के नियंत्रण एवं कब्जे में रखा है, उससे बनायी गयी, वीडियोग्राफी की सत्यता के संबंध में धारा–63 साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–34 दिया गया। मार्क ए–1 के पैकेट को आर्टिकल ए–1, मार्क

डी–1 के पैकेट को आर्टिकल ए–2 तथा मार्क ई–1 को पैकेट को आर्टिकल ए–3 से मूल माल मार्क ए–2 को आर्टिकल ए–4 से चिन्हित किया गया।

20. अभियोजन साक्षी **उमेश इंगले अ.सा.–04 व अशोक कुशवाह अ.सा.–05** द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है, उक्त साक्षीगण के द्वारा मात्र प्रदश्र पी–07 लगायत 19 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया गया है सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते है और पुलिस को क्रमशः प्रदर्श पी–20 व प्रदर्श पी–21 का ए से ए भाग का कथन देने से भी इंकार करते है। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण स्वीकार करते है कि उक्त हस्ताक्षर उन्होंने पुलिस के कहने पर किये थे और वहां पर कोई नहीं था।

21. यदि साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण पर विचार किया जावे तो साक्षी संजय रोमड़े पटवारी अ.सा.–02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि नजरी नक्शे में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि भूमि में गांजे के पौधे कहां कहां पर लगे थे। नजरी नक्शा उसने पंचगण के बताये अनुसार तैयार किया था, जब वह खेत पर गया था, तब भी पुलिसकर्मी या अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं था। खेतों में गिरदावरी का कार्य साल में दो बार होता है। सर्वेयर ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की कि खेत में गांजे के पौधे पाये थे। उक्त साक्षी द्वारा प्रदर्श पी–2 का पंचनामा नजरी नक्शा बनाया, जिसमें सरपंच कनकसिंह तथा अन्य साक्षी चंदरसिंह, योगेश, इंदरसिंह, मुकेश, सोहन व श्रीराम के हस्ताक्षर कराये है। उनकी उपस्थिति में उक्त नजरी नक्शा बनाया गया है, सर्वे क्रमांक 156/24/3 की भूमि ग्राम कोयडिया पटवारी हल्का नंबर 25 का बनाया गया है। प्रदर्श पी–3 एवं प्रदर्श पी–4 की खसरा खतौनी के अनुसार उक्त भूमि रमेश पिता बारा जाति भिलाला के नाम पर दर्ज है। प्रदर्श पी–2 लगायत प्रदर्श पी–4 के दस्तावेज और साक्षी रमेश रोमडे पटवारी हल्का नंबर 25 के कथन से यह प्रमाणित होता है कि घटनास्थल वाली भूमि अभियुक्त रमेश पिता बाला जाति भिलाला निवासी ग्राम कोयडिया की है।

22. साक्षी उमेश इंगले अ.सा.–04 एवं अशोक कुशवाह अ.सा.–05

दोनों ही स्वतंत्र साक्षीगण है, दोनों साक्षीगण ने प्रदर्श पी–7 लगायत प्रदर्श पी–19 के पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया। साक्षी उमेश ने प्रदर्श पी–20 और अशोक ने प्रदर्श पी–21 के पुलिस कथन का ए से ए भाग देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उन्होनें थाने पर हस्ताक्षर किये थे, इन दोनों के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

23. साक्षी अमित डोडवा अ.सा.–01 एवं साक्षी दिनेश अहरवाल अ. सा. 03 दोनों ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि सापलिया साहब को किस माध्यम से मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, उन्हें नहीं पता, 11 बजे मुखबिर की सूचना से अवगत कराने का पंचनामा बनाया गया था, यह साक्षी दिनेश द्वारा बताया गया। साक्षी अमित डोडवा ने बताया कि मौके पर अभियुक्त नहीं मिला था और खेत के मालिकी और आधिपत्य के राजस्व दस्तावेज नहीं देखे थे। इन दोनों साक्षीगण के कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मौके पर अभियुक्त उपस्थित नहीं था और मुखबिर की सूचना सापलिया साहब को प्राप्त हुई थी। मौके पर कोई भी राजस्व के दस्तावेज मालिकी व आधिपत्य के संबंध में नहीं देखे गये थे।

24. साक्षी जेसला मंडलोई अ.सा.–06 ने परीक्षण में बताया कि उसे सीलबंद अवस्था में प्रदर्श पी–22 की सामग्री थाना राजपुर से प्रयोगशाला में जमा करने हेतू प्राप्त हुई थी। उसने पैकेट को खोलकर नही देखा, इसी प्रकार साक्षी श्याम मालवीय अ.सा.–07 ने भी स्वीकार किया है कि उसे प्रदर्श पी–22 का माल जमा करने हेतू पैक अवस्था में मिला था। प्रदर्श पी–24 की रसीद साक्षी जेसला मंडलोई की है, जबकि प्रदर्श पी–25 की रसीद साक्षी श्याम मालवीय की है, दोनों द्वारा ड्राफ्ट के साथ सेंपल जमा किये थे। दोनों सेंपलों की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 एवं प्रदर्श पी–32 है। इन दोनों साक्षीगण के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके द्वारा जो सेंपल विधिवत जमा किये गये थे, उनकी जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–32 है।

25. साक्षी रतनसिंह चौहान अ.सा.–09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने पैकेटों को खोलकर नहीं देखा था और ना ही उनका वजन किया था, जप्ती चिट के आधार पर मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि की गयी थी। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा जप्ती चिट के आधार पर प्रदर्श पी–35 के रजिस्टर में इंद्राज किया था। उक्त माल के संबंध में उसने प्रदर्श पी–18 व प्रदर्श पी–19 का पंचनामा बनाया था। प्रदर्श पी–18 में उसने माल सुरक्षित प्राप्त किया था और प्रदर्श पी–19 में माल को पुनः सीलबंद किया था।

26. साक्षी श्यामलाल यादव अ.सा.–08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने घटनास्थल के आसपास वाले लोगों के कथन नही लिये थे। न्यायालय में तौलकांटे का भौतिक सत्यापन किया हो, इसका पंचनामा नहीं बनाया था। पौधों की लंबाई कितनी थी, इसका उल्लेख नहीं किया है। धारा 52 ए की कार्यवाही में जो फोटो लिये गये है, वह प्रस्तुत नहीं किये गये है। धारा 52 ए की कार्यवाही जेएमएफसी न्यायालय राजपुर में की गयी। न्यायालय की आदेश पत्रिका प्रदर्श पी–31 में फोटो लिये जाने का उल्लेख है। आदेश पत्रिका के अनुसार तौल किये जाने पर गीला गांजा मिटटीयुक्त 11.230 किलोग्राम में से 10.080 किलोग्राम होना पाया गया था, जिसमें से 100–100 ग्राम गांजे के सेंपल लिये गये तथा 100–100 ग्राम जड़ की मिटटी के नमूने लिये गये। मात्र फोटो प्रस्तुत नहीं करने से समस्त कार्यवाही अवैधानिक नहीं हो जाती है। इस साक्षी के कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके द्वारा विधिवत मादक पदार्थ के सेंपल निकालने की कार्यवाही न्यायालय में करवायी थी।

27. साक्षी झिरमल सापलिया अ.सा.–10 जिसके द्वारा मौके की संपूर्ण कार्यवाही की गयी है, ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि भ्रमण के दौरान ग्राम कोयडिया में नदी किनारे पहुॅचे थे, जहां पर मुखबिर की सूचना मिली थी, लगभग 12 बजे के आसपास सूचना मिली थी। उसने आरक्षक को भेजकर राजपुर से स्वतंत्र साक्षीगण व तौलकांटा मंगवाया था। इस सुझाव से इंकार किया है कि प्रदर्श पी–37 का धारा 42 का प्रतिवेदन असत्य आधारों पर तैयार किया। यह स्वीकार

किया है कि खेत के अंदर का मकान किसके नाम का है, जिसका प्रमाण पत्र पंचायत से नहीं लिया। संपूर्ण कार्यवाही करने में 7–8 घंटे का समय लगा था। विस्तृत प्रतिपरीक्षण किये जाने के पश्चात भी इस साक्षी के मुख्य कथन का खण्डन नहीं हुआ है।

28. साक्षी झिरमल सापलिया के कथन का समर्थन हमराह फोर्स के आरक्षक अ.सा.–01 अमित डोडवा, अ.सा.–03 दिनेश अहरवाल करते है। उक्त साक्षीगण झिरमल सापलिया द्वारा की कार्यवाही मुद्देमाल जमा करने के संबंध में साक्षी रतनसिंह चौहान अ.सा.–09 करता है। उक्त माल में से सेंपल के नमूने सागर जमा करने के संबंध में साक्षी जेसला मंडलोई व श्याम मालवीय करते है, जो प्रदर्श पी–22 लगायत प्रदर्श पी–25 से प्रमाणित है। उक्त सेंपलों की जांच किये जाने पर जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–33 के अनुसार मादक पदार्थ के पौधे में लगी जड़ की मिटटी व सादी मिटटी एक जैसी पायी गयी है। जबकि प्रदर्श पी–33 की जांच रिपोर्ट में जो मादक पदार्थ भेजा गया था, वह गांजा होना पाया गया।

29. जिस स्थान से गांजा जप्त होना बताया है, वह साक्षी झिरमल सापलिया एवं अमित डोडवा एवं दिनेश अहरवाल ने अभियुक्त का खेत होना बताया, जिसका समर्थ साक्षी संजय रोमड़े पटवारी के कथन और प्रदर्श पी–2 लगायत प्रदर्श पी–5 के नजरी नक्शा, खसरा खतौनी व प्रतिवेदन के आधार पर होता है। जप्तशुदा मादक पदार्थ जहां पर गांजे के पौधे उगे थे, दस्तावेजों से प्रमाणित है कि वह एकमात्र अभियुक्त रमेश के स्वामित्व व आधिपत्य का है।

30. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित और मौखिक तक्र में बताया है कि अभियुक्त से मौके पर कोई जप्ती नहीं हुई है। खेत के पड़ोसी के कथन नहीं लिये गये। धारा 42, 52 और 57 का पालन नहीं किया गया है। घटनास्थल की भूमि राजस्व अभिलेख में अभियुक्त के नाम पर दर्ज नहीं है। किस प्रकार से तौलकांटे पर मादक पदार्थ को तौला गया। धारा 52–ए की कार्यवाही की गयी, मालखाने के पंचनामें नहीं बनाये गये। समस्त कार्यवाही संदेहास्पद है।

31. उक्त तर्क के प्रकाश में प्रकरण पत्रिका का अवलोकन किया गया। यह अनिवार्य नहीं है कि खेत पड़ोसी के कथन लिया जाना आवश्यक है। प्रदर्श पी–37, धारा 42 का प्रतिवेदन एस.डी.ओ.पी. अनुभाग राजपुर को भेजा गया है। प्रदर्श पी–45 का विस्तृत प्रतिवेदन धारा 57 का अनुविभागीय अधिकारी राजपुर को भेजा गया है। मौके पर अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया था, इस कारण धारा 52 की कार्यवाही मौके के संबंध में नहीं है। अभियुक्त को घटना के पश्चात् दिनांक 10.11.2024 को प्रदर्श पी–42 के अनुसार गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के कार्यवाही से अवगत कराने की सूचना प्रदर्श पी–41 के अनुसार दी गयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके भतीजे चंदरसिंह को प्रदर्श पी–44 के अनुसार दी गयी है। मौके की कार्यवाही के पश्चात् मुद्देमाल मालखाने में जमा किया गया, जिसे पुनः सीलबंद किया गया, जो प्रदर्श पी–18 और 19 से प्रमाणित है। न्यायालय के समक्ष धारा 52ए की कार्यवाही की गयी है, जो प्रदर्श पी–31 की आदेश पत्रिका से प्रमाणित है। प्रदर्श पी–32 एवं 33 जांच रिपोर्ट से मौके से जो पौधे जप्त किये गये थे, वह गांजा होना पाया है एवं प्रदर्श पी–02 लगायत 06 के दस्तावेजों के अनुसार जिस स्थान से गांजे के पौधे बरामद हुए वह अभियुक्त रमेश पिता बाला के एकमात्र स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त मौखिक और लिखित तर्क से अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

32. न्यायदृष्टांत **रेमगुल उर्फ रेमुलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2003(1) एम.पी.एल.जे. पेज 445, बलराजसिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 1998 (1) एम.पी. व्हीकली नोट 66, मनोहरलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2006 (1) एम.पी.एल.जे. पेज 572** प्रस्तुत किये गये, जो धारा 50, 55, 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट के संबधं में है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये कि अन्वेषण अधिकारी ने धारा 52, 55, 57 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया, तो वह अभियोजन के लिए घातक है।

33. प्रकरण में जहां तक अभियुक्त की ओर से किये गये इस तक्र का प्रश्न है कि प्रकरण में पंचान साक्षी उमेश इंगले अ.सा.–4 व अशोक कुशवाह अ.सा.–5 द्वारा अभियोजन कथानक को समर्थन कर कोई कथन नहीं किया गया है, इस

संबंध में यदि विधिक स्थिति पर प्रकाश डाले तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **मोदनसिंह बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1511** में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अनुसंधानकर्ता अधिकारी जिसने कि मुख्य वस्तुएं बरामद की हो, बरामदगी के प्रश्न पर यदि उसकी अभिसाक्ष्य विश्वासोत्पादक है, तब मात्र इस आधार पर कि बरामदगी के अन्य पंच साक्षीगण द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, के आधार मात्र पर ऐसे साक्षी की अभिसाक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। इस संबंध में ही न्यायदृष्टांत **अकमल अहमद बनाम एन.सी.टी. दिल्ली राज्य ए.आई.आर. 1999 सु.को. 1315** अवलोकनीय है जिस न्यायदृष्टांत में यह विधिक प्रतिपादन है कि :—

The evidence of search and seizure made by the police will not become vitiated solely for reason that the evidence is not supported by any independent witness.

34. इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **बाबुलाल एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2004(2) जे.एल.जे. 425** में न्यायदृष्टांत **पी.पी. फातिमा बी बनाम केरल राज्य 2004 एस.सी.सी. क्रिमीनल भाग—दो** का अवलंब लिया जाकर यह अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य यदि विश्वसनीय पाई जाये तो फिर पंच साक्षीगण के पक्षद्रोही हो जाने पर भी उनकी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। तत्संबंध में ही न्यायदृष्टांत **हरियाणा राज्य विरूद्ध भाई राम (2008) एस.सी.सी. 292** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया गया एवं विभागीय साक्षीगण की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने हेतु कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो विभागीय साक्ष्य विश्वसनीय है।

35. न्यायदृष्टांत **अशोक उर्फ डांगरा जायसवाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2011)5 एस.सी.सी. 123** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि :—

The seizure witness turning hostile may not be very significant, as it is not and uncommon phenomenon in criminal trials, particularly in cases relating to NDPS Act.

36. इस संबंध में न्यायदृष्टांत **<u>राजू उर्फ सुरेंदरनाथ सोनकर विरूद्ध म.प्र. राज्य 2021 क्रिमीनल लॉ जनरल 688</u>** भी अवलोकनीय है, जिस न्यायदृष्टांत में सारतः यही विधिक प्रतिपादन है कि अनुभव सिद्ध नियम के रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस अधिकारी का कथन सभी परिस्थितियों में अस्वीकार्य होगा या ऐसा कथन केवल तभी स्वीकार्य किया जा सकता है जबकि उसे स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से समर्थन प्राप्त हो। यदि पुलिस अधिकारी का कथन विश्वास के योग्य हो तो पुलिस अधिकारी के कथन के आधार पर ही दोषसिद्धी की जा सकती है, भले ही ऐसा कथन स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित न भी हो। तत्संबंध में न्यायदृष्टांत **<u>बद्रीसिंह विरूद्ध म.प्र. राज्य आई.एल.आर. 2017 एम.पी. 1952</u>** भी अवलोकनीय है। पुलिस साक्षियों की साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में ही विधिक अभिनिर्धारण करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **<u>Rizwan khan Vs The State of Chasttisgarh 2020 (3) Crimes 441 SC (3 Judge Bench)</u>** में यह विधिक प्रतिपादन किया गया है कि :—

7.2 It is further submitted that though in the present case the independent witnesses (Panchnama witnesses) have turned hostile, that does not adversely affect the case of the prosecution. It is submitted that the prosecution has been successful in proving the case against the accused by examining the reliable witnesses, i.e., PW3, PW4, PW5, PW7 and PW8. It is submitted that merely because the independent witnesses who have signed the seizure documents turned hostile, the evidence of other witnesses, may be police officials, cannot be discarded. It is submitted that only on the independent witnesses turning hostile, the entire case of the prosecution cannot be disregarded; 7.3 It is further submitted that in the present case the prosecution

witnesses fully supported the case of the prosecution and they are found to be trustworthy and no question of enmity came up between them and the accused persons. Reliance is placed upon the decision of this Court in the case of P.P. Fathima v. State of Kerala, (2003) 8 SCC 726; Baldev Singh V. State of Haryana, (2015) 17 SCC 554; and State of Himachal Pradesh v. Pradeep Kumar, (2018) 13 SCC 808;

37. इस प्रकार उक्त न्यायदृष्टान्तों में किये गये विधिक प्रतिपादन से यह विधिक स्थिति स्पष्ट है कि ऐसी कोई विधि नहीं है, कि पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य जब तक कि स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित न हो, अस्वीकार की जानी चाहिये एवं अधिकारिक साक्षियों की साक्ष्य स्वतंत्र साक्ष्य से संपुष्ट न होने के आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती। यह भी स्पष्ट है कि यदि पुलिस की साक्ष्य दृढ़ एवं विश्वसनीय हो तो वहां पंच साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाना अभियोजन के मामले को प्रभावित नहीं करता है।

38. **न्यायदृष्टांत रामविजयसिंह विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य 2021 क्रि.लॉ. जनरल 2805 एस.सी.** अवलोकनीय है, जिस न्यायदृष्टांत में यह विधिक प्रतिपादन किया गया है कि अभियोजन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह उन समस्त साक्षियों का परीक्षण कराये, जिन्होंने घटना देखी है एवं अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक विचारण में साक्ष्य की गुणवत्ता सुसंगत है, न की संख्या। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 का उपबंध भी सुसंगत है, जिस उपबंध अनुसार यह विधिक प्रावधान किया गया है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिये साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन को अपना मामला प्रमाणित किये जाने हेतु किसी विशिष्ट संख्या में साक्षियों को प्रस्तुत किये जाने की कोई विधिक अपेक्षा नहीं होती है, अपितु यह अभियोजन का मामला होता है कि वह अपने मामले को प्रमाणित किये जाने हेतु कितने साक्षियों को प्रस्तुत करता है, क्योंकि साक्षियों की साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, न कि उनकी संख्या। प्रस्तुत प्रकरण में जबकि अभियोजन की

ओर से प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य पूर्व विवेचन में विश्वसनीयता प्रकट हुई है।

39. न्यायदृष्टांत **बहादुरसिंह बनाम हरियाणा राज्य (2010) 4 एस.सी. सी. 445** में यह अवधारित किया है कि धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधान का पूर्णतः पालन होना आज्ञापक नहीं है, मात्र सारवान पालन होना पर्याप्त है। इस प्रकरण में धारा 57 की कार्यवाही की गयी है।

40. न्यायदृष्टांत **करनेलसिंह विरूद्ध हरियाणा राज्य 2009(8) एस.सी. सी. 539** में जबकि यह विधिक प्रतिपादन किया गया है कि यदि धारा 41(2) व धारा 42(2) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सूचना को अभिलिखित करने को आज्ञापक प्रावधान के रूप में अर्थान्वयन किया गया तो यह अत्यावश्यक परिस्थितियों की अविलंबता को पंगु बना देगा और दाण्डिक तलाशी व जप्ती को व्यर्थ कर देगा, जो कि अत्यावश्यक परिस्थितियों में की जानी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त न्यायदृष्टांत **बुटासिंह व अन्य विरूद्ध हरियाणा राज्य 2021 (1) ए.एन.जे.(एस.सी.) 387** भी अवलोकनीय है, जिस न्यायदृष्टांत में सारतः यह विधिक प्रतिपादन है कि धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के संपूर्ण अननुपालन के प्रकरण में दोषमुक्ति होना चाहिए क्योंकि धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट का संपूर्ण अननुपालन अनुज्ञेय नहीं है परंतु प्रस्तुत प्रकरण में जबकि धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट के उपबंधानुसार प्रदर्श पी–37 का प्रतिवेदन विहित समयाधि में प्रेषित किया जाना स्थापित है जो धारा 42 एन.डी. पी.एस. एक्ट के उपबंधित प्रावधान के अनुपालन को हीं दर्शाता है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त न्यायदृष्टांतों में किये गये विधिक प्रतिपादन के प्रकाश में जबकि धारा 42 एवं धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट के उपबंध अनुसार प्रतिवेदन विहित समयावधि में प्रेषित किये जाने का तथ्य स्थापित है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से उक्त प्रावधान के अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी तक्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

41. अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी किया गया है कि मुद्देमाल को सुरक्षित नहीं रखा गया, इस कारण भी वह दोषमुक्ति का पात्र है। जहां तक

अभियुक्त की ओर से किये गये इस तक्र कि मुद्देमाल को सुरक्षित नहीं रखा गया, का प्रश्न है, इस संबंध में यदि अभिलेखगत् साक्ष्य पर विचार करें तो प्रकरण में प्रस्तुत मौके की कार्यवाहीं करने वाले साक्षी उपनिरीक्षक झिरमल सापलिया अ.सा.–10 ने स्पष्ट कथन कर बताया है कि पुलिस थाना राजपुर के एच.सी.एम. रतनसिंह चौहान अ.सा.–09 को माल सुपुर्द किया था।

42. जहां तक जप्तशुदा अवैध मादक पदार्थ गांजा होने का प्रश्न है, इस संबंध में यदि अभिलेखगत् साक्ष्य पर विचार करें तो प्रकरण में प्रस्तुत अन्वेषणाधिकारी साक्षी झिरमल सापलिया अ.सा.–10 द्वारा जो मुद्देमाल जप्त किया गया था। उक्त माल में से सैंपल को आरक्षक जेसला मंडलोई व श्याम मालवीय को एफ.एस.एल. ड्राफ्ट प्रदर्श पी–22 के माध्यम से जमा करने के लिए भेजा था, जांच के बाद परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–32 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार सैंपल का परीक्षण करने पर गांजा पाया गया था। इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्त के खेत से जप्तशुदा पौधे गांजे के होने का तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है।

43. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **पंजाब राज्य विरूद्ध सुरजीतसिंह व अन्य 2009(2)ई.एफ.आर. 179** तथा **पंजाब राज्य विरूद्ध लखविंदर सिंह व अन्य 2010(2)ई.एफ.आर. 165** में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां एक बार मादक पदार्थ पर अभियुक्त का संज्ञान आधिपत्य दर्शा दिया जाता है, वहां अभियुक्त की मानसिक दशा संबंधी उपधारणा एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 35 व 54 के तहत की जायेगी और यह आवश्यक नहीं है कि घटना का समर्थन हमेशा ही स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा किया ही जाये। पुलिस/विभागीय अधिकारियों के अभिसाक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धी की जा सकती है।

44. जहां अवैध मादक पदार्थ पर अभियुक्त का सचेतन आधिपत्य प्रमाणित हो जाता है वहां एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 35 व 54 के प्रावधान की उपधारणा प्रभावशील हो जाती है और उसके खण्डन का भार व अन्यथा

स्पष्टीकरण दिये जाने का कर्तव्य भार अभियुक्त पर हो जाता है, प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित हुआ है कि घटना दिनांक को अभियुक्त अपने स्वामित्व और आधिपत्य के खेत में 17 नग गांजे के हरे पौधे, पौधे के रूप में अवैध गांजा रखे पाये थे। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पर धारा 35 एवं 54 के उपबंधित प्रावधानानुसार उपधारणा के खण्डन का भार था, जिस भार से उन्मोचित होने के संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी है एवं अभियुक्त की ओर से लिया गया बचाव भी विश्वास योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से लिया गया बचाव एवं किये गये तक्र में कोई बल होना प्रकट नहीं है। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्र. 1 **प्रमाणित** के रूप निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 2 निष्कर्ष एवं दण्डादेश :—

45. इस प्रकार पूर्व विवेचन में विचारणीय प्रश्न क्र. 1 में किये गये साक्ष्य विश्लेषण से यही निष्कर्ष समक्ष प्रकट होता है, कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त रमेश पिता बाला सोलंकी के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **8 (b) सहपठित धारा 20(a)(i)** स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतएव **अभियुक्त रमेश पिता बाला सोलंकी** को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा **8 (b) सहपठित धारा 20(a)(i)** के अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुये **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

46. अभियुक्त रमेश की ओर से उसे परीवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया, जहां तक परीवीक्षा पर छोड़े जाने का प्रश्न है, एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 33 में प्रावधानित किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 या आपराधिक परीवीक्षा अधिनियम 1958 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी, जब तक वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है अथवा वह अपराध

जिसके लिए उस व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया जाता है, धारा 26 या धारा 27 के अधीन दण्डनीय नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण के उक्त अभियुक्त की आयु भी 18 वर्ष से अधिक की होना अभिलेख से स्पष्ट है तथा यह मामला अधिनियम की धारा 26 एवं धारा 27 से भिन्न होने के कारण उक्त अभियुक्त को परीवीक्षा पर छोड़े जाने का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता है।

47. अभियुक्त जमानत पर है, उसके निष्पादित जमानत एवं बंधपत्र निरस्त कर, अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया।

48. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ समय के लिये स्थगित किया गया।

स्थान : बड़वानी
दिनांक : 10.07.2026

(एल.डी. सोलंकी)
विशेष न्यायाधीश, स्वापक औषधि
और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम बड़वानी
जिला बड़वानी, म.प्र.

<u>पुनश्च :–</u>

49. अभियुक्त रमेश की ओर से निवेदन किया गया कि उसकी कोई पूर्व दोषसिद्धी अभिलेख पर नहीं है और वह काफी समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा हैं, वह अपने परिवार का एकमात्र कर्ता–धर्ता हैं, अतः उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए, उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे, दूसरी ओर अभियोजन की ओर से यह निवेदन किया गया है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत कारित अपराध संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है, इस कारण अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए।

50. उभयपक्ष की ओर से किये गये तर्कों पर मनन किया गया, प्रकरण की समग्र परिस्थिति, वर्तमान सामाजिक परिवेश में जबकि मादक पदार्थों का

क्रय–विक्रय एवं परिवहन अंतर्राज्यीय स्तर पर किये जाने के मामलों की संख्या में लगातार बढोत्तरी होती जा रही है, जो तथ्य किसी एक व्यक्ति को नहीं अपितु संपूर्ण समाज को प्रतिकुल रूप से प्रभावित करता है, विशेषकर मादक पदार्थों के अवैध रूप से क्रय–विक्रय एवं परिवहन किये जाने से नवयुवक पीढ़ी जिसके कांधे पर भविष्य निर्भर है, प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते हैं एवं वे नशे की गिरफ्त में आ जाते है एवं अवैध रूप से मादक पदार्थ का क्रय–विक्रय किये जाने का कृत्य करने वाला व्यक्ति समाज में मानव जीवन को नष्ट किये जाने में दीमक की भूमिका के समान है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को एवं अभियुक्त की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु एवं जप्तशुदा गांजे की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त **रमेश पिता बाला सोलंकी** को एन.डी. पी.एस. एक्ट की धारा **8 (b) सहपठित धारा 20(a)(i)** के अपराध के आरोप में **04 वर्ष** के कठोर कारावास एवं **10,000/–** रूपये के **अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम पर **06 माह** का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जाये।

51. अभियुक्त का सजा वारंट तैयार किया जावे। अभियुक्त अन्वेषण और विचारण के दौरान इस मामले में दिनांक 10.11.2024 से 13.12.2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहना पाया जाता है। उक्त अवधि के संबंध में अभियुक्त का सेट ऑफ प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। उक्त सेट ऑफ अवधि को अभियुक्त की सजा की अवधि में समायोजित किया जावे। अभियुक्त को सजा वारंट एवं सेट ऑफ प्रमाण पत्र के साथ शेष सजा भुगताये जाने के लिए केंद्रीय जेल बड़वानी को प्रेषित किया जावे।

52. प्रकरण में जप्तशुदा ई–1, डी–1 व ए–1 जो जिला न्यायालय, बड़वानी के मालखाना नम्बर 277/2025 दिनांक 28.04.2025 पर जमा है, को अपील/रिवीजन अवधि पश्चात्, अपील/रिवीजन न होने की दशा में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क के अंतर्गत निर्मित की गई जिला

स्तरीय व्ययन समिति के समक्ष विधि अनुसार व्ययन किये जाने हेतु प्रेषित किया जावे। अपील/रिवीजन होने की दशा में माननीय अपीलीय/रिवीजनल न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

53. क्रिमिनल रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में संलग्न मुद्देमाल पर्चे पर मुद्देमाल से संबंधित निराकरण टीप अंकित कर मुद्देमाल पर्चा जिला मालखान नाजिर बड़वानी को प्रेषित कर तत्संबंध में टीप आदेश पत्रिका पर अंकित करे।

54. निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदाय की जाये तथा एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, बड़वानी की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक के माध्यम से प्रेषित की जाये।

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।

SD/-

(एल.डी. सोलंकी)
विशेष न्यायाधीश, स्वापक औषधि
और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम बड़वानी
जिला बड़वानी, म.प्र.

स्थान : बड़वानी
दिनांक : 10.07.2026

LILADHAR SOLANKI

Digitally signed by LILADHAR SOLANKI
Date: 2026.07.10 17:35:53 +0530

प्रतिलिपि :–

जावक क्रमांक ..../आप./2026 बड़वानी, दिनांक ..../07/2026

जिला दंडाधिकारी बड़वानी, जिला बड़वानी, कार्यालय जिला दंडाधिकारी बड़वानी, जिला बड़वानी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर लोक अभियोजक के माध्यम से प्रेषित।

(एल.डी. सोलंकी)
विशेष न्यायाधीश, स्वापक औषधि
और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम बड़वानी
जिला बड़वानी, म.प्र.